रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. ....225/2022........ दिनांक ....8/06/2022........
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.........7, 7ए ....
   (ब) अधिनियम ....भादस 1860...........धारायें.......120बी ....
   (स) अधिनियम ....धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....141..........समय.............6:50 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन--दि.--मंगलवार / 07.06.2022 / 05.50 पी.एम...
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक--06.06.2022 समय.--09.10 ए.एम. ....
4. सूचना की किस्म :-- लिखित / मौखिक -- लिखित
5. घटनास्थल :-- कार्यालय आबकारी निरीक्षक बयाना जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी --दक्षिण , दूरी करीब 40 किमी..
   (ब) पता -- ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला......................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :--
   (अ) नाम **श्री ओमवीर सिंह**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री उदयवीर सिंह जाति जाट....(स) जन्म तिथि / वर्ष 37 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह.................................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम --कुरका पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :--

   1--पुनीत शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 41 साल जाति ब्राहम्ण निवासी न्यू आर्दश नगर कॉलोनी 220 केवी बाडी रोड पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर।

   2--श्यामवीर सिंह त्यागी पुत्र श्री मेडूराम त्यागी उम्र 30 साल निवासी लादूखेडा पुलिस थाना सैंया जिला आगरा उत्तर प्रदेश हाल प्राईवेट चालक (दलाल)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :--कोई नही...................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....50,000 / --रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........
    ....50,000 / --रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं.......................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)...................

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। विषय-- रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवदेन है कि मै ओमवीर सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह जाति जाट निवासी कुरका थाना उच्चैन जिला भरतपुर का रहने वाला हूं ग्राम बिनउआं तहसील रूपवास का शराब का ठेका मेरे पास है एवं ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन के शराब के ठेके में पार्टनर हूं तथा दोनों ठेकों का संचालन मैं ही करता हूं। उक्त दोनों ठेके करीबन डेढ महिने से मेरे पास हैं। आबकारी विभाग सर्किल बयाना के सीआई पुनीत कुमार एवं उनका ड्राईवर श्यामवीर ठेकों के उपर कार्यवाही करने का दबाब बनाते हुए मुझसे मंथली एवं लोकेशन ओके करने के एवज में एक--एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे थे मैने उनसे कहा कि मेरे पास अभी ठेके आये हैं धंधा मंदा चल रहा है मै इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता हूं मेरे मना करने पर उन्होने दिनांक 03.06.2022 को

प्रहराधिकारी को भेज मेरी पिचूना वाले ठेके पर कार्यवाही करवा कर केस बनवा दिया इसके बाद मैंने दिनांक 04.06.2022 को श्यामवीर ड्राईवर से बात की तो उसने कहा कि सोमवार को सीआई साहब आयेगें आप बैठ कर बात कर लेना नहीं तो तुम्हारे ठेके नहीं चलने देंगें और मेरे से श्याम वीर ड्राईवर ने लोकेशन के लिये एक एक लाख रूपये और 15000–15000 रूपये मंथली के लिये कहा तो इसपर मैने कहा ये तो ज्यादा पैसे हैं तो श्यामवीर ड्राईवर ने कहा कि वाट्सएप्प ऑडियो कॉल पर सीआई साहब से बात कर लो मैने सीआई साहब को वाट्सएप्प पर ऑडियो कॉल किया तो उन्होने बताया कि मै सोमवार को बयाना आ रहा हूं आप और में बैठ कर बात कर लेंगें। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी सीआई पुनीत कुमार व श्यामवीर ड्राईवर से कोई रंजिश नहीं है और नाही कोई पुराना लेन देन बाकी है कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी ओमवीर सिह, ओमवीर सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी कुरका पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर। मो0– 7665641462 एसडी नवल किशोर पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर 06.06.2022 एसडी दिनेश चन्द 06.06.2022, एसडी बलवीर 06.06.2022।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 06.06.2022 को समय 09.10 ए.एम. पर परिवादी श्री ओमवीर सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह उम्र 37 साल जाति जाट निवासी कुरका थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल संवेदक देशी विदेशी मदिरा दुकान विनउंआ ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के नाम संबोधित करते हुए मन पुलिस निरीक्षक नवल किशोर को इस आशय की पेश कि "मै ओमवीर सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह जाति जाट निवासी कुरका थाना उच्चैन जिला भरतपुर का रहने वाला हूं ग्राम बिनउआं तहसील रूपवास का शराब का ठेका मेरे पास है एवं ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन के शराब के ठेके में पार्टनर हूं तथा दोनों ठेकों का संचालन मैं ही करता हूं। उक्त दोनों ठेके करीबन डेढ महिने से मेरे पास हैं। आबकारी विभाग सर्किल बयाना के सीआई पुनीत कुमार एवं उनका ड्राईवर श्यामवीर ठेकों के उपर कार्यवाही करने का दबाब बनाते हुए मुझसे मंथली एवं लोकेशन ओके करने के एवज में एक–एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे थे मैने उनसे कहा कि मेरे पास अभी ठेके आये हैं धंधा मंदा चल रहा है मै इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता हूं मेरे मना करने पर उन्होने दिनांक 03.06.2022 को प्रहराधिकारी को भेज मेरी पिचूना वाले ठेके पर कार्यवाही करवा कर केस बनवा दिया इसके बाद मैंने दिनांक 04.06.2022 को श्यामवीर ड्राईवर से बात की तो उसने कहा कि सोमवार को सीआई साहब आयेगें आप बैठ कर बात कर लेना नहीं तो तुम्हारे ठेके नहीं चलने देंगें और मेरे से श्याम वीर ड्राईवर ने लोकेशन के लिये एक एक लाख रूपये और 15000–15000 रूपये मंथली के लिये कहा तो इसपर मैने कहा ये तो ज्यादा पैसे हैं तो श्यामवीर ड्राईवर ने कहा कि वाट्सएप्प ऑडियो कॉल पर सीआई साहब से बात कर लो मैने सीआई साहब को वाट्सएप्प पर ऑडियो कॉल किया तो उन्होने बताया कि मै सोमवार को बयाना आ रहा हूं आप और में बैठ कर बात कर लेंगें। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी सीआई पुनीत कुमार व श्यामवीर ड्राईवर से कोई रंजिश नहीं है और नाही कोई पुराना लेन देन बाकी है " उक्त लिखित रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरी ग्राम विनउंआ में देशी विदेशी मदिरा की दुकान है तथा में ग्राम पिचूना में आवटित देशी विदेशी मदिरा की दुकान में पार्टनर हूं पुनीत सीआई ने प्रहराधिकारी से मिलकर मंथली लेने हेतु दबाब बनाने के लिये ग्राम पिचूना में स्थित मदिरा की दुकान पर कार्यवाही करवा है लेकिन मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 09.50 एएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये अख्तर खान हैड कानि. 05 से मालखाना से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री हरभान सिंह कानि. नं. 591 को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि

परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। बाद हिदायत परिवादी व श्री हरभान सिंह कानि. को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु घना गेट के पास भरतपुर के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.55 एएम पर परिवादी श्री ओमवीर सिंह व श्री हरभान सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आये। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री हरभान सिंह कानि. से प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि पुनीत शर्मा सीआई साहब व उसके ड्राईवर श्यामवीर से मेरी बात हो गई है। मै और हरभान सिंह कानि0 रवाना होकर घना गेट के पास जिला भरतपुर में पहुंचे जहां पर पुनीत शर्मा सीआई साहब व उनका ड्राईवर श्यामवीर मिले जिन्होने मेरे से मेरी देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान पर कार्यवाही नहीं करने व दुकान की लोकेशन निर्धारित करने की एवज में 20,000/--रूपये बातचीत के दौरान उनके ड्राईवर श्यामवीर ने ले लिये व 50,000/--रूपये और रिश्वत की मांग की और मुझसे कहां कि आपको कॉल कर बुला लेगें। मैंने उक्त वार्तालाप को इस वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया। इसके बाद मैं साइड में जाकर हरभान सिंह कानि. के पास पहुंचा जिन्होने वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद मैने हरभान सिंह कानि. को सारी बात बताई। इसके बाद मै व श्री हरभान सिंह वहां से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गए। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। अतः परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर पेन ड्राईव तैयार की जावेगी। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.30 एएम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण श्री गम्भीर सिंह कानि0 को 475 को उपायुक्त कार्यालय वाणिज्य कर विभाग भरतपुर के पदनाम तहरीर जारी कर स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 11.40 एएम पर परिवादी ओमवीर सिंह व आरोपी पुनीत शर्मा सीआई व श्यामवीर चालक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और तीन पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम पेन ड्राईव पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "A" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईवों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री अख्तर खान हैड कानि. को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.15 पीएम पर श्री गम्भीर सिंह कानि0 अपने साथ उपायुक्त कार्यालय वाणिज्य कर विभाग भरतपुर से दो स्वतंत्र लेकर वापस कार्यालय आया जिसने मन पुलिस निरीक्षक ने उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम दिनेश चन्द शर्मा पुत्र श्री पूरन चन्द शर्मा उम्र 29 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अटारी पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्य कर विभाग वृत अ भरतपुर एवं बलवीर पुत्र श्री मोहन सिंह उम्र 37 जाति जाट निवासी गांव सरसैना पुलिस थाना हलैना हाल सहायक वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय वाणिज्य कर विभाग वृत ब भरतपुर होना बताया गया जिन्हे कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री ओमवीर सिंह ने बताया कि पुनीत शर्मा सीआई व श्यामवीर चालक आज समय करीबन 08.00 पीएम तक अपने कार्यालय बयाना आ सकते हैं और वो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय में पूर्व से उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाय गया तथा परिवादी द्वारा पेश कि गई लिखित तहरीरी रिपोर्ट को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढने के लिये के लिये दी गई

तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने मौखिक सहमति दी तथा प्रमाण स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 06.10 पीएम पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री ओमवीर सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह उम्र 37 साल जाति जाट निवासी कुरका थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल संवेदक देशी विदेशी मदिरा दुकान विनउंआ से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 100 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 50,000/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 GF 414338
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 SE 117975
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 KN 851491
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 QS 483203
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 VS 394599
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 GN 920505
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 FB 884865
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 GG 693430
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 CM 198252
10	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 HS 317004
11	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 BR 509136
12	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 AB 908547
13	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 BR 935158
14	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 FA 031242
15	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 PT 260013
16	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 EL 718295
17	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 AR 498912
18	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 TV 465859
19	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 NA 462845
20	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 QK 752074
21	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 FD 084585
22	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 HU 096739
23	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 UR 016932
24	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 MF 909903
25	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 BT 579274
26	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 CU 544240
27	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 EA 761941
28	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 SW 409402
29	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 KV 892864
30	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 UW 449417
31	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 DQ 161165
32	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 LF 022528
33	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 GV 223180
34	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 AP 044101
35	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 NL 589930

36	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 AL 555222
37	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 RR 239192
38	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 ED 506310
39	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 SF 917746
40	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 CU 323308
41	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 VF 637308
42	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 HN 171437
43	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 BF 505719
44	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 EM 556622
45	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 AA 371618
46	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 KG 597884
47	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 RT 909735
48	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 WG 022639
49	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 TS 544942
50	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 BW 382837
51	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 AD 816563
52	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 DD 826596
53	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 GD 390742
54	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 EM 717323
55	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 MU 824648
56	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 FG 555287
57	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 VC 432214
58	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 RL 312452
59	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 WW 153545
60	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 CB 353733
61	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 RK 425770
62	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 SB 949728
63	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 DN 407956
64	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 BS 457109
65	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 WH 840442
66	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 FL 960619
67	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 MW 792046
68	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 GG 571607
69	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 UB 193231
70	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 DT 752716
71	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 SN 720404
72	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 FG 228785
73	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 UG 361610
74	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 BV 988666
75	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 TT 678535
76	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 SM 177437
77	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 RL 165225
78	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 GR 612746

79	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 PH 340181
80	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 BM 754598
81	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 BM 369133
82	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 RL 627330
83	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 BU 857525
84	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 HD 370110
85	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 DW 782226
86	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 NL 106388
87	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 VA 161568
88	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 UQ 336998
89	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 AB 074114
90	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 RK 696336
91	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 SM 126155
92	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 GU 751623
93	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 VB 764481
94	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 MQ 731035
95	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 RN 031789
96	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 HL 644537
97	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 UE 818130
98	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 DM 313766
99	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 MP 491604
100	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 CG 566737

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक 337 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री धर्मवीर कानि0 चालक से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री ओमवीर सिह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह दिनेश चन्द से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 50,000/–रूपये के नोटों को श्री धर्मवीर कानि0 चालक से परिवादी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री बलवीर से उपलब्ध पानी के कैम्पर में से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री धर्मवीर सिह कानि0 चालक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। श्री धर्मवीर सिह

कानि0 चालक के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कार्यालय में ही रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से श्री अख्तर खाना हैड कानि0 से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.50 पीएम पर श्री रीतराम हैड कानि0 45 व श्री परसराम कानि0 203 व परिवादी श्री ओमवीर सिंह को परिवादी की निजी कार से रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्री हरभान सिंह कानि0 591, श्री गम्भीर सिंह कानि0 475, श्री गोकुलेश कानि0 454 व यशपाल कानि0 474 को प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय श्री अख्तर खान हैड कानि0 05, श्री विनोद सिह कानि0 114 व श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु बयाना रवाना होने पर समय 08.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहनों के रेल्वे स्टेशन कस्बा बयाना पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा करवा कर आरोपीगण के आने का इन्तजार है। तत्पश्चात समय 11.30 पीएम पर रात्री का समय अधिक हो चुका है आरोपीगण अपने कार्यालय में नहीं आया है और ना ही परिवादी के पास आरोपीगण का कोई कॉल आया है तथा गोपनीय जानकारी से मालूमात किया गया तो आरोपीगण बयाना कस्बा में आ चुके हैं अतः रात्री अधिक हो जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही कल दिनांक 07.06.2022 को की जावेगी। तत्पश्चात समय 11.55 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहनों के एसीबी कार्यालय भरतपुर के लिये रवाना होने पर दिनांक 07.06.2022 को समय 01.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहनों के कस्बा बयाना का रवाना शुदा वापस एसीबी चौकी भरतपुर आया दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नोटों पर पाउडर लगाने वाले श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक 337 से परिवादी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी तरफ की सामने की जेब में रखे हुए पाउडर युक्त रिश्वती राशि 50000 रूपये के नोटों को निकलवा कर कार्यालय में पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। जिन्हे एक लिफाफे में रखवा कर सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना में रखवाया गया। बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुबह 07.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कार्यवाही को गोपनीय रखने हिदायत देकर रूखसत किया गया एवं परिवादी को समय अधिक हो जाने के कारण कार्यालय में रूकने की हिदायत दी गई। इसके बाद समय 07.00 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री बलवीर सिंह सहायक वाणिज्य कर अधिकारी व श्री दिनेश सिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक से कार्यालय के मालखाने में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि 50000/- को निकलवा कर कल दिनांक 06.06.2022 को कार्यायल में बनाई गई फर्द पेशकशी से नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये तत्पश्चात परिवादी श्री ओमवीर सिह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह दिनेश चन्द से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 50,000/-रूपये के नोटों को श्री धर्मवीर कानि0 चालक से परिवादी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा

रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से श्री अख्तर खाना हैड कानि0 से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। तत्पश्चात समय 08.10 एएम पर श्री रीतराम हैड कानि0 45 व श्री परसराम कानि0 203 व परिवादी श्री ओमवीर सिंह को परिवादी की निजी कार से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री हरभान सिंह कानि0 591, श्री गम्भीर सिंह कानि0 475, श्री गोकुलेश कानि0 454 व यशपाल कानि0 474 को प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय श्री अख्तर खान हैड कानि0 05, श्री विनोद सिंह कानि0 114 व श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु बयाना रवाना होने पर समय 09.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहनों के रेल्वे स्टेशन कस्बा बयाना पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा करवाया गया तथा गोपनीय रूप से मालूमात की गई तो पता चला कि आरोपीगण अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है परिवादी श्री ओमवीर सिंह ने भी बताया कि अभी पुनीत शर्मा सीआई कार्यालय में नहीं है अतः मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के अपनी पहचान छुपाते हुए मुकीम हुए। आरोपीगण के कार्यालय में आने का इन्तजार है। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री ओमवीर से गोपनीय रूप से मालूमात करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि आरोपीगण अभी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है। तत्पश्चात समय 04.20 पीएम पर परिवादी श्री ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपी पुनीत शर्मा सीआई व श्यामवीर ड्राईवर कार्यालय में आ गये है इस पर परिवादी को वॉईस रिकॉडर्र को चालू व बन्द करने की विधि समझा कर आरोपीगण के पास रवाना किया गया परिवादी के पीछे–पीछे श्री रीतराम हैड कानि0, परसराम कानि0, यशपाल कानि0 व देवेन्द्र कानि0 को रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी टीम के वाहनों के पास से रवाना हो कार्यालय आबकारी निरीक्षक बयाना के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय 05.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री ओमवीर सिंह के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के रेल्वे स्टेशन बयाना रोड से रवाना होकर कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर के मुख्य गेट के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री ओमवीर सिह उपस्थित मिला जिस से पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी अभी पुनीत शर्मा सीआई साहब ने मेरे से 50000/– रूपये अपने चैम्बर में एक बार अपने हाथ में लेकर फिर मेरे से श्यामवीर चालक को दिलवाये हैं श्यामवीर चालक एवं पुनीत शर्मा सीआई अभी भी चैम्बर में बैठे हुए हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाप्ता को हमराह लेकर कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर के अन्दर प्रवेश कर सीआई कक्ष के बाहर पहुंचा जहां कक्ष के बाहर दीवार पर अंग्रेजी में पुनीत शर्मा इन्सपेक्टर लिखा हुआ है परिवादी श्री ओमवीर सिंह ने आगे आगे चल कर कक्ष में प्रवेश कर दो व्यक्तियों की तरफ ईशारा कर बताया कि कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति पुनीत शर्मा सीआई है व खडे हुए व्यक्ति की तरफ

ईशारा कर बताया कि यह श्यामवीर ड्राईवर है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम पता पुनीत शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 41 साल जाति ब्राहम्ण निवासी न्यू आर्दश नगर कॉलोनी 220 केवी बाडी रोड पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर होना बताया व खडे हुए व्यक्ति ने अपना नाम पता श्यामवीर सिंह त्यागी पुत्र श्री मेडूराम त्यागी उम्र 30 साल जाति त्यागी निवासी लादूखेडा पुलिस थाना सैंया जिला आगरा उत्तर प्रदेश हाल प्राईवेट चालक होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक से परिवादी श्री ओमवीर सिंह से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो आरोपी पुनीत शर्मा सीआई ने बताया कि मैं माह फरवरी 2021 से कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत बयाना में आबकारी निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हूं। श्री ओमवीर सिंह देशी व अंग्रजी शराब की दुकान ग्राम विनउंआ व पिचूना का संचालन करते हैं कल दिनांक 06.06.2022 को मै धौलपुर से जयपुर जा रहा था तभी मेरे चालक श्यामवीर के पास ओमवीर का फोन आया था और चालक श्यामवीर ने मुझे बताया कि ओमवीर सिंह आपसे किसी काम के लिये मिलना चाहता है तो मैने अपने चालक श्यामवीर से कहा कि ओमवीर से आप कह दो कि सारस चौराहा या घने के गेट के पास मिल जाये इसके बाद मै और मेरा चालक घने के गेट के पास पहुंचे तो ओमवीर सिह घने के गेट के पास अपनी गाडी के साथ उपस्थित मिला ओमवीर सिंह से मेरी व मेरे चालक की वार्ता हुई थी जो ठेके की परेशानी से संबंधित थी। इसके बाद मै अपने चालक सहित जयपुर चला गया था जहां से मै शाम को आ गया था आज दिनांक 07.06.2022 मै अपने कार्यालय के चैम्बर में बैठा हुआ था जहां ओमवीर सिंह मेरे पास आया था जिनसे मैने हाथ मिला कर अभिवादन किया था फिर उन्होने मेरे से अपने गोदाम संबंधी सामान्य वार्ता की थी मैने ओमवीर सिंह से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है और ओमवीर सिंह ने मेरे को रिश्वत राशि देने को कहा था तो मैने रिश्वत राशि लेने से स्पष्ट मना कर दिया तथा ना ही मैने ओमवीर सिंह से कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है। आरोपी के उक्त कथन पर परिवादी श्री ओमवीर सिंह से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि पुनीत शर्मा सीआई साहब झूठ बोल रहे हैं। इन्होने मेरी पिचुना की दुकान की ब्रांच पर दिनांक 03.06.2022 की रात्री को कार्यवाही करवा दी थी जिसके सिलसिले में दिनांक 04.06.2022 को मैने सीआई साहब व उनके ड्राईवर श्यामवीर से फोन पर बात की तो इन्होने मुझसे मेरी दुकानों को निर्बाद रूप से चलने देने की व लोकेशन निर्धारित करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की व सोमवार को मिलने की कहा जिसपर दिनांक 06.06.2022 को मैने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दी थी जिस पर आप द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया था तो वक्त रिश्वत मांग सत्यापन भरतपुर में घने के गेट के सामने गाडी में बैठ कर 20000 /– श्यामवीर ड्राईवर ने प्राप्त कर लिये तथा 50,000 रूपये और रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुए। इसके बाद आज दिनांक 07.06.2022 को अपने चैम्बर में बैठ कर 50000/– रूपये एक बार अपने हाथ में लेकर अपने ड्राईवर श्यामवीर को दिलवा दिये जिसने 50000/–रूपये अपने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेंट की बांयी तरफ की जेब में रख लिये परिवादी के उक्त कथन पर आरोपी श्यामवीर सिह से पूछा गया तो बताया कि श्यामवीर चालक ने बताया कि मै करीबन 4–5 साल से पुनीत शर्मा सीआई साहब के साथ इनकी गाडी पर चालक का काम करता हूं तथा कल दिनांक 06.06.2022 को मै सीआई साहब को लेकर जयपुर जा रहा था तो मैने अपने मोबाईल नं0 7014837133 से श्री ओमवीर सिंह शराब के ठेकेदार को उनके मोबाईल नं0 7665641462 पर वाट्सएप्प ऑडियो कॉल के जरिये बात करके भरतपुर में घने के गेट पर बुलाया था। जहां पर ओमवीर सिह जी अपनी गाडी के साथ उपस्थित मिले थे जिसने मेरी ठेके की परेशानी के संबंध में बात हुई थी जिनसे मैने सीआई साहब के कहने पर उनका काम कराने व ठेके को निर्बाद रूप से चलाने के लिये 20000/–रूपये ले लिये थे और 50000/–रूपये और रिश्वत की मांग की थी इसके बाद मै सीआई साहब को लेकर जयपुर चला गया था। आज दिनांक 07.06.2022 को ओमवीर सिंह ठेकेदार कार्यालय में आये थे जिन्होने सीआई साहब के चैम्बर में रिश्वत राशि 50000 रूपये दिये थे जिनको एक बार सीआई साहब ने अपने हाथ में लेकर मुझे दिलवा दिये थे। जिनको मैने लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेंट की बांयी तरफ की जेब में रख लिये 50000/–रूपये अभी भी मेरी जीन्स पेंट की

जेब में रखे हुए है। इस पर उक्त दोनों आरोपियों को डिटेन कर यथा स्थिति बनाये रखने की हिदायत देकर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक तामचीनी के कटोरे को निकलवाकर कार्यालय में लगे हुए वाटर कूलर से प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाकर कटोरे को शैम्पू पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री बलवीर सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर तामचीनी के कटोरे के घोल में श्री श्यामवीर सिंह चालक (दलाल) के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः तामचीनी के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री श्यामवीर सिंह के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री दिनेश चन्द शर्मा से आरोपी श्यामवीर सिह चालक की पहनी हुई पेन्ट की बायी तरफ की जेब तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की जेब में 500–500 सौ रूपये की नोटों की मुडी हुई गड्डी दिखाई दी जिनको बाहर निकलवा कर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा में 500–500 सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/–रूपये मिले जिनको पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से तामचीनी का कटोरा निकलवा कर उसे शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करा कर आरोपी के पहने हुए जीन्स पेन्ट को उतरवा कर पेन्ट के बांयी तरफ की जेब को उलटवा कर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी–1 व पीपी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पेन्ट का अवलोकन किया गया तो बरंग हल्का नीला जिसकी कमर बैल्ट पर डब्लू मार्क का स्टीकर लगा हुआ है , पेन्ट के जेब को उल्टा कर सुखवाया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाया जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पीपी" अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पुनः तामचीनी के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी श्री पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच–3 व आर एच–4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः तामचीनी के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी श्री पुनीत शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–3 व एल एच–4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका

पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपीगण श्री पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर व श्यामवीर सिंह चालक (दलाल) का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही के दौरान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा उपस्थित आये जिनको कार्यवाही के समस्त हालात निवेदन किये गये। कार्यावाही के दौरान आरोपी पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक के निवासी की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात समय 09.50 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री पुनीत शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 41 साल जाति ब्राहम्ण निवासी न्यू आर्दश नगर कॉलोनी 220 केवी बाडी रोड पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर को परिवादी श्री ओमवीर सिह की देशी व अंग्रजी शराब की दुकान पर कार्यवाही नहीं करने व लोकेशन निर्धारित करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.06.2022 को अपने चालक श्यामवीर के द्वारा 20000/–रूपये प्राप्त करना व 50000/– रूपय और रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.06.2022 को रिश्वत लेते पकडे जाने पर आरोपी श्री पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री श्यामवीर सिंह त्यागी पुत्र श्री मेडूराम त्यागी उम्र 30 साल निवासी लादूखेडा पुलिस थाना सैंया जिला आगरा उत्तर प्रदेश हाल प्राईवेट चालक (दलाल) द्वारा पुनीत शर्मा सीआई के कहने पर परिवादी श्री ओमवीर सिह की देशी व अंग्रजी शराब की दुकान पर कार्यवाही नहीं करने व लोकेशन निर्धारित करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.06.2022 को 20000/–रूपये प्राप्त करना व 50000/– रूपय और रिश्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.06.2022 को रिश्वत लेते पकडे जाने पर आरोपी श्री श्यामवीर चालक का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार गया फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.00 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में लाईट की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 11.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही स्वतंत्र गवाहान, परिवादी मय ट्रेप पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक व श्यामवीर सिह चालक (दलाल) मय ट्रेप कार्यवाही मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के लेपटॉप मय प्रिंटर मय प्राईवेट वाहनों के आबाकारी निरीक्षक बयाना से एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होने पर दिनांक 08.06.2022 को समय 12.40 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, व ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण के प्राईवेट वाहनों से उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुचा। जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 50000/–रूपये, धोवन की 10 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात श्री अख्तर खान हैड कानि. नं. 05 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द की जाकर जमा मालखाना करवायी गई। तत्पश्चात समय 12.50 एएम पर श्री अख्तर खान हैड कानि0 05 , श्री परसराम कानि 203 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक व श्यामवीर प्राईवेट चालक मय प्राईवेट वाहन मय प्राईवेट चालक के आरोपीगण को पुलिस थाना मथुरागेट में बन्द हवालात कराने हेतु पुलिस थाना पुलिस गेट के नाम तहरीर जारी कर रवाना करने पर समय 01.15 एएम पर आरोपीगण को बन्द हवालात कराकर वापस एसीबी चौकी भरतपुर आये आरोपीगण को सुबह पुलिस थाना मथुरागेट से प्राप्त किया जाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा। तत्पश्चात समय 01.20 एएम पर परिवादी ओमवीर सिंह से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कार्यालय के

कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और तीन पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईवों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " B" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईवों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री अख्तर खान हैड कानि. नं. 05 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.10 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 51 को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री बलवीर को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूख्सत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी श्री पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री ओमवीर सिंह संवेदक देशी व विदेशी मदिरा की दुकान विनउंआ एवं पार्टनरशिप की दुकान पिचुना से अपने चालक श्यामवीर के माध्यम से परिवादी की उक्त शराब की दुकानों के उपर कार्यवाही नहीं करने की एवज में मंथली के रूप में एवं दुकानों की लोकेशन निर्धारित करने की एवज में 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 20,000/-रू चालक श्यामवीर के मार्फत प्राप्त कर 50,000 रू0 और रिश्वत राशि देने की कहा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 07.06.2022 को आरोपीगण पुनीत शर्मा आबकारी निरीक्षक एवं श्यामवीर चालक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 50,000/-रूपये कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत बयाना में प्राप्त करते हुए रंगें हाथों पकडा गया रिश्वती राशि आरोपी श्यामवीर चालक की पहनी हुई जीन्स पेंट से रिश्वत राशि 50000 रूपये बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7, 7ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्तगणों को गिरफतार किया गया अभियुक्तगण पुनीत शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 41 साल जाति ब्राहम्ण निवासी न्यू आर्दश नगर कॉलोनी 220 केवी बाडी रोड पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बयाना जिला भरतपुर व श्यामवीर सिंह त्यागी पुत्र श्री मेडूराम त्यागी उम्र 30 साल निवासी लादूखेडा पुलिस थाना सैंया जिला आगरा उत्तर प्रदेश हाल प्राईवेट चालक (दलाल) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(नवल किशोर पु.नि.)
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
भरतपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री पुनीत शर्मा, हाल आबकारी निरीक्षक, वृत बयाना, जिला भरतपुर एवं 2. श्री श्यामवीर सिंह त्यागी पुत्र श्री मेडूराम त्यागी निवासी लादूखेड़ा, पुलिस थाना सैया, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 225/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1983-87 दिनांक 8.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।

8.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।